राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5596 दिनांक : 02/12/2019

अधिसूचना

सां. आ. 129 / 2019 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट (Article 243K) के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22क (section 22A) की उप–धारा (1) यह उपबंध है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों (Vehicle) या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ट (Article 243K) एवं पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)(1) नपा–पंचा / सांआ / रानिआ / 2014 / 9847 दिनांक 24.12.2014 (सां. आ. 105 / 2014) को अधिक्रमित करते हुये निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः–** (i) इस आदेश का नाम राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन में वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2019 है;

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

   (iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2. **परिभाषाऐंः–** (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

   (i) "निर्वाचन" से पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
   (ii) "प्ररूप क", "प्ररूप ख" एवं "प्ररूप ग" से इस आदेश से संलग्न "प्ररूप क", "प्ररूप ख" एवं "प्ररूप ग" अभिप्रेत है;
   (iii) "खण्ड" से इस आदेश के पैरा का "खण्ड" अभिप्रेत है;
   (iv) "नियम" से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के "नियम" अभिप्रेत है;

   (2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट हैं।

3. **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा–** अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा (Campaigning or election related travel) के लिऐ निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगाः–

   (i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस (iv) मेटाडोर एवं (v) पशुचालित किसी भी प्रकार का वाहन यथा तांगा, ऊँटगाडी, बैलगाड़ी आदि।

4. **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना–** उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगाः

   (1) जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

   (2) पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(3) सरपंच पद के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;

(4) उक्त उप खण्ड (1) (2), या (3) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (सरपंच के मामले में उपखण्ड अधिकारी) को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी; उक्त सूचना के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति लिखित में प्ररूप "ख" में जारी की जायेगी, जो अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहन पर प्रदर्शित (Display) की जायेगी।

(5) किसी भी निर्वाचन में उक्त उप खण्ड (1), (2) अथवा (3), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये वाहनों सहित 3 से अधिक वाहनों की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रेली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

(6) उक्त उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस,के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः— इस पैरा के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पों, आदि है।

5. **लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंधः—** लाऊड स्पीकरों का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा—

(1) अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा;

(2) मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घण्टे की अवधि में लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।(3) अस्पताल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

(4) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाऊड स्पीकर के उपयोग क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम प्राधिकारी की प्ररूप "ग" में लिखित अनुमति के उपरान्त ही उपयोग किया जा सकेगा। ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन में यह स्पष्टतः अंकित करना आवश्यक होगा कि लाऊड स्पीकर के उपयोग कब, किस प्रकार और किस स्थान पर किया जाना है।

6. **कट—आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेधः—** (1) निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर आदि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदर्शित किये जा सकेंगे।

(1) पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127—क के उपबंधों की पालना करनी होगी;

(2) कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर के प्रदर्शन के लिए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते है तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या इस निमित्त विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी;

(3) जहां प्रचार सामग्री या विज्ञापनों के प्रदर्शन के संबंध में स्थानीय विधि में कोई प्रावधान नहीं हो तो वहां किसी निजी संपत्ति पर केवल ऐसी प्रचार सामग्री जो आसानी से हटायी जा सके, यथा झण्डियां, बैनर, आदि लगायी जा सकेगी लेकिन ऐसी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संबंधित संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी;

(4) किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगें;

परन्तु मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा। इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिह्न या नारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(5) आमसभा/जुलूस/रैली आदि के लिए अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

7. **अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एवं इस आदेश का उल्लंघन** :–'(1) पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु धारा 22क (Section 22A) के अन्तर्गत उपर उल्लेखित मदों के लिए किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा नीचे दी गई तालिका में अंकितानुसार होगी ;

क. सं.	पद का नाम	अधिकतम खर्च सीमा
1.	जिला परिषद सदस्य के लिए	रूपये 1,50,000/–
2.	पंचायत समिति सदस्य के लिए	रूपये 75,000/–
3.	सरपंच के लिए	रूपये 50,000/–

(2) चुनाव खर्च का लेखा संलग्न प्ररूप "क" में परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के अन्दर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी /प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त लेखा जोखा को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी सात दिवस में कोई भी व्यक्ति उक्त प्ररूप "क" में दर्शित खर्चे के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उक्त आदेश द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध के उल्लघंन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। ऐसा अधिकारी या तो स्वयं जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी, जो तहसीलदार स्तर से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, से जांच करा सकेगा। शिकायत में अंकित तथ्यों के साबित पाए जाने पर समुचित कार्यवाही के लिए प्रकरण क्षेत्राधिकार रखने वाले उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

(8) **प्रतिबंधों के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करना:–** (1) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22क (Section 22A) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में इस आदेश का उल्लघंन हुआ हैं, ऐसे उल्लघंन के संबंध में सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(2) उपखण्ड अधिकारी, खण्ड 7 के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट पर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेगा। ऐसे परिवाद तथा की गई जांच की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भी तीन दिन के भीतर भेजेगा।

(3) उक्त उप खण्ड (1) में प्रस्तुत प्रकरण में पारित निर्णय की प्राप्ति पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा उसकी प्रति 15 दिवस के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजी जाएगी।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5597–5601 दिनांक :– 03.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को राजपत्र विशेषांक 6(ग) में प्रकाशन हेतु।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु, ई–गजट पर अपलोड करने, संबंधित को ई–मेल करने एवं आयोग की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।

3.12.2018

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

प्ररूप–क

अभ्यर्थी द्वारा किए गए चुनाव खर्च का विवरण

जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच* .... के लिए निर्वाचन

1. वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या
2. अभ्यर्थी का नाम
3. अभ्यर्थी के पिता का नाम
4. अभ्यर्थी का पता

क.सं.	खर्च की प्रकृति एवं अन्य विवरण				खर्च की गई राशि (रूपयों में)
1	वाहन (नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित)		अवधि दिवस में	दर	
	(i)				
	(ii)				
	(iii)				
2	लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर। (फर्म का नाम एवं पता)		अवधि दिवस में	दर	
3	पोस्टर, बैनर, हैण्डविल पम्फलेट, कट–आउट, होर्डिंग्स (मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता)				
4	अन्य व्यय (पूर्ण विवरण सहित)				
कुल राशि					

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं सत्य निष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान